

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
स०-८ डी(बजट-आबंटन 2251)-13-10/2016-

01

प्रेषक,

गौतम पासवान,  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
सेवा में,

सरकार के अवर सचिव,  
-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी,  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,  
बिहार पटना।

पटना, दिनांक- 13.04.17

विषय: -वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के राजपत्रित/ अराजपत्रित स्थापना हेतु मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत कुल ₹4,84,02,000/- (चार करोड़ चौरासी लाख दो हजार रुपये) मात्र का आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मांग संख्या-44 'मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय(मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक उपबंध के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रां-ब-15/ बी०एस०जी०-19/2017-428/वि० दिनांक 31.03.2017 के निहित शर्तों के आलोक में स्थापना व्यय के लिए ईकाई के सम्मुख कंडिका-4 में अंकित राशि पूरे वर्ष के व्यय के लिए आबंटित की जाती है।

क्रमांक	कूट संख्या एवं इकाई	बजट उपबंध 2017-18	पूरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आबंटित राशि
1	2	3	4
1	0023.0101-वेतन	1,42,84,000	1,42,84,000
2	0023.0103-जीवन यापन भत्ता	1,87,12,000	1,87,12,000
3	0023.0104-मकान किराया भत्ता	29,75,000	29,75,000
4	0023.0105-परिवहन भत्ता	2,95,000	2,95,000
5	0023.0106-चिकित्सा भत्ता	94,000	94,000
6	0023.0107-अन्य भत्ता	5,000	5,000
	<b>योग-44-2251.00.090.0023.01-वेतन</b>	<b>3,63,65,000</b>	<b>3,63,65,000</b>
7	0023.0501-पुरस्कार	6,000	6,000
8	0023.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10,00,000	10,00,000
9	0023.1101-यात्रा व्यय	8,00,000	8,00,000
10	0023.1301-कार्यालय व्यय	25,00,000	25,00,000
11	0023.1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	12,00,000	12,00,000
12	0023.1303-दूरभाष	2,50,000	2,50,000
13	0023.1305-विधि प्रभार	1,00,000	1,00,000
14	0023.1306-वर्दी/पौशाक	10,000	10,000
15	0023.2001-आतिथ्य व्यय	1,20,000	1,20,000
15	0023.2802-संविदा सेवायें	60,00,000	60,00,000
16	0023.2003 प्रशिक्षण व्यय	50,000	50,000
17	0023.5101 मोटर गाड़ी	1,000	1,000
	<b>कुल योग:-</b>	<b>4,84,02,000</b>	<b>4,84,02,000</b>

(चार करोड़ चौरासी लाख दो हजार रुपये मात्र)

1/4/17

2. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र सं 2561 दि० 17.04.98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

3. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में "मुख्य शीर्ष" 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय(मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग- के प्राथमिक इकाईयों- 00230101-वेतन, 00230103-जीवन यापन भत्ता, 00230104 मकान किराया भत्ता, 00230105-परिवहन भत्ता, 00230106-चिकित्सा भत्ता, 00230107-अन्य भत्ता, 00230601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 00231101-यात्रा भत्ता, 00231301-कार्यालय व्यय, 00231302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, 00231303-दूरभाष, 00231305-विधि प्रभार, 00231306-वर्दी/पोशाक, 00232001-आतिथ्य व्यय, 00232003-प्रशिक्षण व्यय, 00230501-पुरस्कार, 00232802- संविदा सेवायें ईकाई विपत्र, 5101-मोटर गाड़ी विपत्र कोड-44-2251000900023 में विकलनीय होगा।

4- आवंटित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का प्रतिवेदन निकासी एवं व्यय प्राधिकारी द्वारा विगत माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

5- आवंटित राशि का प्रन्यापण प्रतिवेदन दि० 31.03.18 तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन  
Gautam  
12-4-17  
(गौतम पासवान,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3जी(बजट-आबंटन 2251)-13-10/2016 - 01 पटना, दिनांक 13.04.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदा० 1जी०/8डी०/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Gautam  
12-4-17  
सरकार के संयुक्त सचिव।

11/4/17